



भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय)

(Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture)

मुशहरी प्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार) भारत

Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India

Ph: 0621-2289475, 2281162

Fax: 0621-2281162

F. No. 12-1(08)/P&S/2017-18/Auction of Litchi/Vol.-III

Date: 16.04.2021

निविदा सूचना-01/2020-21

विषय:-भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, के मुशहरी, प्रक्षेत्र की वर्ष 2021 की नीलामी।

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली-110001 की तरफ से 2021 के लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करती है। निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है।

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों का विवरण	अग्रधन राशि	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
	प्रखण्ड-अ,ब,स एवं द	15000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र)	01 मई 2021 4:00 बजे	03 मई 2021 शाम 11:30 बजे

नोट: सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को सुरक्षा राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा जो कि कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होने पर वापस किया जायेगा। अन्य निविदाकर्ता की अग्रधन राशि को निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्षेत्र उत्पाद को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा प्रारूप में अपना निविदा क्रमशः इस कार्यालय को जमा कर सकते हैं।

निविदा हेतु नियम एवं शर्त:-

1. निविदा पत्र, केवल इस कार्यालय के वेबसाइट www.nrclitchi.org पर उपलब्ध रहेगा जिसे निविदाकर्ता द्वारा स्वयं डाउनलोड करना होगा। भरा हुआ निविदा पत्र जमा करने के समय निविदा पत्र के साथ निविदा शुल्क 500.00 (पाँच सौ रुपये) की डी.डी. एवं अग्रधन राशि 15000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की डी.डी. सलग्न करना होगा। निविदा की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा। डी.डी. ICAR-Unit NRCL के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, मुशहरी, मुजफ्फरपुर (बिहार)-शाखा कोड SBIN0014283 में देय होगा।

2. सभी निविदा बन्द लिफाफा में भरा होना चाहिए एवं लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या-01/2021-2022 'लीची के फलों की नीलामी हेतु निविदा' लिखी होनी चाहिए। निविदा कार्यालय के मुख्य द्वार पर स्थित प्रहरी कक्ष में उपलब्ध निविदा बॉक्स में अंतिम तिथि एवं समय तक जमा किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक (एडी सहिति) द्वारा भेजी जा सकती है। डाक से भेजने पर कोई क्षति/देर के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त नीलामी हेतु प्रक्षेत्र उत्पादों का निरीक्षण प्रातः 11.00 से सायं 4.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर किया जा सकता है।

5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 01.05.2021 को 4:00 बजे है।
6. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 03.05.2021 को शाम 11:30 बजे है।
7. निविदा खुलना' निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर में उपस्थित हो सकते हैं।
8. भुगतान की विधि—निविदा खुलने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा जमा की गयी रकम का 50 प्रतिशत का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भुगतान करना होगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान फल तुड़ाई के प्रारंभ करने के 4-5 दिन पहले करना होगा। पूर्ण राशि के भुगतान के बिना फल तोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। संस्थान में POS मशीन द्वारा भुगतान किया जा सकता है। नकद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. संस्थान द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से कम राशि प्राप्त होने का स्थिति में उसी समय समिति के समक्ष ही पुनः बन्द निविदा की प्रक्रिया भी की जा सकती है।
10. निविदा स्वीकार करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र मुजफ्फरपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
11. मध्यस्तता—किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु भा.कृ.अनु.प.—राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, (बिहार) को प्रेषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर (बिहार) का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।
12. सुरक्षा व्यवस्था—सफल निविदाकर्ता को फलों की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश आपदा अथवा किसी अप्रत्याशित कारणवश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा एवं इस प्रकार के आवेदन के उपर विचार नहीं किया जायगा।
13. फसल उपचार—ठकेदार विभिन्न प्रखण्डों के पौधों की सिंचाई, कीटनाशक का व्यवहार एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग संबंधित वैज्ञानिक से मिलकर एवं लिखित राय लेकर कर सकते हैं।
14. प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित वैज्ञानिकों की निगरानी में ठकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फल की तुड़ाई पेड़ों से करनी होगी। तुड़ाई का प्रातः 07:00 से 04:30 बजे अपराह्न तक कार्य दिवसों में प्रक्षेत्र प्रभारी एवं सम्बन्धित ब्लॉक वैज्ञानिक के निर्देशानुसार ही करनी होगी।
15. इस केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र कार्य गुड़ाई, सिंचाई एवं जुताई आदि तथा कोई अन्य कार्यों के कराये जाने पर ठकेदार को कोई हस्ताक्षेप/आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। फलों की तुड़ाई का लीची पौधों को बिना क्षति पहुँचाए किया जाना होगा।
16. फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस विषय पर केन्द्र के वैज्ञानिक की राय अंतिम होगी।
17. प्रत्येक पौधों की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के वैज्ञानिकों/तकनीशियन/प्रतिनिधि अंकित करेंगे।
18. लीची परीक्षण में संबंधित वैज्ञानिक द्वारा तुड़ाई के समय दिये जाने वाले निर्देशों को मानना अनिवार्य होगा।
19. संबंधित ब्लॉकों के वैज्ञानिकों एवं प्रक्षेत्र प्रभारी को पेड़ों के निरीक्षण एवं परीक्षण हेतु फलों का नमूना (sample) एकत्रित/लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

20. फलों की तुड़ाई, रख रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी।

21. ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस प्रकार से नुकसान की अवस्था में सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

22. ठेका अवधि नीलामी की 100 प्रतिशत राशि जमा करने के साथ ही प्रारम्भ होगी एवं फलों की तुड़ाई समाप्त होते ही समाप्त होगी।

23. प्रक्षेत्र के अन्य कार्य (तकनीकी/तोड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करने उपरान्त ही तुड़ाई करने की अनुमति होगी।

24. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में होगा

25. ठेकेदार फलों की सुरक्षा हेतु प्रर्याप्त संख्या में सुरक्षा प्रहरी/व्यक्ति प्रक्षेत्र के अन्दर रख सकेंगे। जिसकी जानकारी केन्द्र को पहले ही देनी होगी। सुरक्षा प्रहरी मै तैनात व्यक्तियों को पूरा विवरण फोटो, नाम, पता का परिचय पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/ के प्रति को कार्यालय में जमा करना होगा।

26. फलों की तुड़ाई हेतु ठेकेदार द्वारा रात्रि में श्रमिकों का ठहराव प्रक्षेत्र के अन्दर मान्य नहीं होगा।

27. चिन्हित लीची फल वृक्ष, डालियों, टहनियों (Tagged and Marked Plants, Branches and Twings/Shoots) में फलों की तुड़ाई वैज्ञानिकों के उपस्थिति में करना अनिवार्य होगा।

28. फलों की तुड़ाई में किसी भी प्रकार से शाखाओं एवं टहनियों, प्रयोग के दृष्टि से लगाये गये निशान, टैगिंग (tagging), आदि की क्षति व नुकसान नहीं होनी चाहिए। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार के सुरक्षित राशि की अंशतः या पूर्णतः जब्त कर लिया जायेगा।

29. ठेकेदार द्वारा तीन दर एक ही साथ (सेट-I, सेट-II, सेट-III) अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देना होगा जिस पर दर I, दर II और दर III, स्पष्ट रूप से लिखा होना सर्व प्रथम दर I का लिफाफा खोला जायगा तथा यदि उसमें दी गई दर संतोषजनक न होने की स्थिति में उपस्थित निविदाकर्ताओं अन्य बन्द लिफाफों जिसमें में बड़े दर की सम्भावना की जाती है को क्रमशः खोला जायगा और यदि कोई भी ठेकेदार का दर सुरक्षित दर के पार होगी वही बोली दर ली जा सकती है। इस पर निदेशक रा.ली.अनु. केन्द्र का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

30. सुरक्षा राशि: ठेकेदार को फल तुड़ाई निविदा के लिए "सुरक्षा राशि" कार्यालय में जमा करना होगा जो फलों की तुड़ाई के उपरान्त सब कुछ ठीक-ठाक रहने पर वापास किया जायेगा। सुरक्षा राशि नीलामी की बोली का 10 प्रतिशत होगा।


31. नोट: प्रति पौधा 25 लीची फलों का नमूना (Sample) परीक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित वैज्ञानिकों के द्वारा समय-समय पर तुड़ाई के पहले या तुड़ाई के समय पर लिया जायेगा जिसके लिए अनुसंधान केन्द्र से कोई मूल्य नहीं दिया जायेगा इसमें ठेकेदार के द्वारा कोई आपति मान्य नहीं होगी।

खण्डों की जानकारी साथ में संलग्न है। कृपया अनुछेदक/Annexure "A" अधिक जानकारी लिए अवश्य देखें।

32. प्रशासनिक कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।

33. तुड़ाई के लिए लगाए गए श्रमिकों की आयु अनिवार्य रूप से 14 (चौदह) वर्ष के उपर होनी चाहिए।

34. प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये गेट पास के बिना संस्थान से लीची ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
35. अन्य कार्य (तकनीकी/तोड़ाई) इत्यादि हेतु संबंधित वैज्ञानिक/प्रक्षेत्र प्रभारी से संपर्क करें। समस्याओं का हल न होने पर सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगा।
36. किसी भी विषय से संबंधित सर्वाधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सुरक्षित होगा।
37. बाजार मूल्य पर संस्थान के कर्मचारियों को अधिकतम 50 किलोग्राम फल उनके द्वारा मागे जाने पर भुगतानोपरान्त देने की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
38. प्रायोगिक प्रक्षेत्र प्रखंड से गुणवत्ता जांच एवं अन्य विश्लेषण के लिए 25 या 60 (Annexure-'A') फल प्रति पौधा संबंधित वैज्ञानिक द्वारा लिया जायेगा। इसका विस्तृत विवरण निविदा पत्र के साथ उपलब्ध होगा।



प्रशासनिक अधिकारी (प्र०)
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर

उपर लिखे सभी नियम एवं शर्तें मुझे पूरी-पूरी मान्य है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

तिथि :

सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर :

(दूरभाष संख्या)

Annexure "A"

Code No.	Description	Total no. of plants	No. of plants under fruiting	No. of trees of fruits reserved for research purposes
BLOCK-A and D				
A3	Shahi-I	144	119	12 trees
A4	Shahi-II	144	60	25 fruits per tree
A5	Shahi-III	144	74	25 fruits per tree
A6	Shahi-IV	144	60	25 fruits per tree
A8	Mycorrhiza	60	47	60 fruits per tree
A9	Entomology and conservation	120	32	60 fruits per tree
A10	Pathology	48	38	60 fruits per tree
D1	Fertigation/GAP	144	116	25 fruits per tree
D2	H. D. P.	207	75	25 fruits per tree
D5	D.D.P. trial (12-13 year old)	27	19	Nil
Total			640 plants	
BLOCK-B and C BLOCK				
B5	New Germplasm	160	24	25 fruits per tree
B6	Germplasm-I	144	21	25 fruits per tree
B7	Germplasm-II	144	51	25 fruits per tree
C1	China-I	144	67	25 fruits per tree
C2	China-II	144	16	25 fruits per tree
C3	China-III	144	103	25 fruits per tree
C4	Canopy architecture Management (7-8 year old)	208	55	25 fruits per tree
C5	Assessing Potentiality of promising variety (7-8 year old)	208	18	25 fruits per tree
Total			355	
Grand Total			995	
No. of trees reserved			-20	
Total no. of trees available for auction = 995-20=975				

(निविदा दर प्रपत्र सेट-I)

1. ठेकेदार का नाम:

2. आधार कार्ड सं:

3. पत्राचार का पता: ग्राम—

पोस्ट—

थाना—

जिला—

पिन कोड—

4. दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या:—

5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 03.05.2021 को 11:30 बजे अपराहन

6. प्रक्षेत्र मुशहरी, मुजफ्फरपुर

7. फल का विवरण : लीची फल

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों	कुल पौधे	दर (दर साफ—साफ लिखें)	शब्दों में
मुशहरी मुजफ्फरपुर	प्रखण्ड—अ,ब,स, एवं द	975		

ठेकेदार का हस्ताक्षर :-

तिथि :-

मोबाईल नं:

(निविदा दर प्रपत्र सेट-II)

1. ठेकेदार का नाम:
2. आधार कार्ड सं:
3. पत्राचार का पता: ग्राम—
पोस्ट—
थाना—
जिला—
पिन कोड—
4. दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या:—
5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 03.05.2021 को 11:30 बजे अपराह्न
6. प्रक्षेत्र मुशहरी, मुजफ्फरपुर
7. फल का विवरण : लीची फल

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों	कुल पौधे	दर (दर साफ-साफ लिखें)	शब्दों में
मुशहरी मुजफ्फरपुर	प्रखण्ड-अ,ब,स, एवं द	975		

ठेकेदार का हस्ताक्षर :-

तिथि :-

मोबाईल नं:

(निविदा दर प्रपत्र सेट-III)

1. ठेकेदार का नाम:

2. आधार कार्ड सं:

3. पत्राचार का पता: ग्राम—

पोस्ट—

थाना—

जिला—

पिन कोड—

4. दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या:—

5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 03.05.2021 को 11:30 बजे अपराह्न

6. प्रक्षेत्र मुशहरी, मुजफ्फरपुर

7. फल का विवरण : लीची फल

प्रक्षेत्र	प्रयोगात्मक लीची के पौधों	कुल पौधे	दर (दर साफ-साफ लिखें)	शब्दों में
मुशहरी मुजफ्फरपुर	प्रखण्ड-अ,ब,स, एवं द	975		

ठेकेदार का हस्ताक्षर :-

तिथि :-

मोबाईल नं: